न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा)
आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र सं.:– 33/2021

1. श्रीमति कौशल्या देवी पत्नि श्री चन्द्रकुमार जाति सिन्धी वरियानी निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला केकडी

प्रार्थीया

बनाम

1. श्री पोलू पुत्र श्री उगमा जाति जाट नेटवाल निवासी बूबकिया तहसील भिनाय जिला केकडी
2. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय नागोला तहसील भिनाय जिला केकडी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

4. कानी पत्नि प्रधान जाति गुर्जर निवासी बूबकिया तहसील भिनाय जिला केकडी
5. रसाल देवी पत्नि लीलाराम जाति गुर्जर निवासी बूबकिया तहसील भिनाय जिला केकडी
6. लाली देवी पत्नि श्री देवराम जाति गुर्जर निवासी बूबकिया तहसील भिनाय जिला केकडी

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री धर्मवीर बामनिया अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री शिव कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
पैराकार सरकार

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:आदेश:–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम बूबकिया पटवार क्षेत्र बूबकिया, भू. अभिलेख क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय जिला केकडी स्थित आराजी खसरा सं. 1848 रकबा 0.22, 1850 रकबा 0.78, 1851 रकबा 0.78, 1858 रकबा 0.35, 1859 रकबा 0.22 कुल किता 5 रकबा 2.35 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां हैं। उक्त आराजीयात प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजीयात है। जिस पर प्रार्थीया खरीद दिवस से ही 7/8 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया द्वारा स्वंय की 7/8 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रफोर्मा अप्रार्थीगण को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र बेचान कर दिया है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तकरण इन्द्राज किया जा चुका है। उक्त आराजीयात में अप्रार्थी सं. 1 केवल 1/8 हिस्से का अधिकारी है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 1 को 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार दर्ज किया जाकर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड से पृथक कर दिया गया है जो गलत है जबकि प्रार्थीया वर्तमान में स्वयं के 3/8 हिस्सा भूमि पर अनवरत काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त आराजीयात में अप्रार्थी सं. 1 का अधिक हिस्सा दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीया के हिस्से, कब्जा काश्त भूमियो में दखलंदाजी करते हुए खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहा है। अतः न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 को ताफैसला वाद के प्रार्थी के हिस्से की आराजी में दखलंदाजी से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावें।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सं. 4 लगायत 6 बावजूद तामिली नोटिस के अनुपस्थित रहे अतः उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता शिवकुमार जोशी ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब पत्र में बताया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतया गलत है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित था। प्रार्थीया ने स्वयं की 1/2 हिस्सा भूमि का बेचान कर देने से प्रार्थीया का हिस्सा समाप्त हो गया। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया का

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 को हैरान–परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। पैरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुष्टि होना स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया का 3/8 हिस्सा हेतु वांछित आनुतोष उचित होना बताया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीया अभिभाषक ने बहस में प्रार्थना पत्र में लिखित कथन दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। प्रार्थीया अभिभाषक ने बहस में बताया कि विवादित आराजीयात के विक्रय पत्र दिनांक 25.05.1985 में तत्कालीन खातेदार उगमा, नारायण, श्रीलाल द्वारा साबिक खसरा नं. 1241 रकबा 16 बीघा ग्राम बूबकिया संपूर्ण का 7/8 हिस्सा श्रीमती कौशल्या पत्नि इन्द्रकुमार व 1/8 हिस्सा पोलू वल्द उगमा जाट को विक्रय किया है। अतः मूल रजिस्ट्री में पोलू का 1/8 हिस्सा होने पर वर्तमान में 1/2 हिस्सा दर्ज होना विधिक रूप से संभव नहीं है। प्रार्थीया ने अपने 7/8 हिस्से की आराजीयात में से 1/2 हिस्से का बेचान प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सं. 4 से 6 को विक्रय कर दिया। विक्रय पत्र का नामान्तकरण भी सही दर्ज किया गया किन्तु रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/8 के स्थान पर त्रुटिपूर्ण तरीके से 1/2 दर्ज कर प्रार्थीया का शेष हिस्सा ही विलोपित कर दिया। अतः प्रार्थीया अपने शेष बचे 3/8 हिस्से की विधिक रूप से खातेदार है। जिस विक्रय पत्र से प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 खातेदार बने थे, उससे अप्रार्थी पोलू ने इन्कार नहीं किया है। अतः पोलू के पास 1/2 हिस्से दर्ज होने का कोई आधार नहीं है। मूल विक्रय पत्र को स्वीकार करने के कारण अप्रार्थी पोलू एस्टोपल के सिद्धान्त से बाध्य है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजीयात के रहन–बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबान्द किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी पोलू के अनपढ होने के कारण विक्रय पत्र पर बिना समझे हस्ताक्षर कर दिए जबकि मूल विक्रय पत्र का नामान्तकरण प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 का बराबर 1/2 हिस्से मजमेआम में खोला गया है जो कि सही है। प्रार्थीया द्वारा नामान्तकरण की अपील भी नहीं की गई है। अतः उसे दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रार्थीया दावा लाना चाहे तो अप्रार्थी सं. 4 से 6 के विरूद्ध करना चाहिए था। विक्रय पत्र में प्रार्थीया ने अपने संपूर्ण 1/2 हिस्से का बेचान किया है तथा जमाबंदी में उसके नाम कोई हिस्सा शेष नहीं रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने मूल विक्रय पत्र से इन्कार नहीं किया है बल्कि अनपढ होने के कारण हस्ताक्षर करना बताया है। विक्रय पत्र में दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल होते समय त्रृटि होने अथवा नहीं होने के संबंध में अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश कर सिद्ध करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 के पास नियिमित वाद की सुनवाई के दौरान पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। पैरोकार सरकार ने भी अपने लिखित जवाबपत्र अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होना उचित ठहराया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता हैं। प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश दिनांक 16.02.22 के द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है अतः इस स्तर पर अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने से प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अप्रार्थी सं. 1 को ताफैसला वाद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बूबकिया तहसील भिनाय स्थित आराजी खसरा सं. 1848 रकबा 0.22, 1850 रकबा 0.78, 1851 रकबा 0.78, 1858 रकबा 0.35, 1859 रकबा 0.22 कुल किता 5 रकबा 2.35 हैक्टेयर आराजी का बेचान–रहन, हस्तान्तरण नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)